(२१४) (90)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

R5011-II-116 Rs.30/-

श्रीमान सिंह तनय भगवान सिंह गोड़ निवासी ग्राम चहली तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0। ....निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ....गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

प्रकरण निगरानी

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय बैढ़न जिला सिंगरौली के राजस्व प्रकरण कमांक 04 / निगरानी / 2009–10 मे पारित आदेश दिनांक 08 / 01 / 2010।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0।

श्री महेन्द्र सिंह ... द्वारा ... दिनांक 11-1-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा निम्नाकिंत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :–

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

1. यह क आवेदक / निगरानीकर्ता ग्राम चहली पटवारी हल्का बन्धा तहसील देवसर पूर्व जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरौली म0प्र0 का निवासी है तथा गोड़ जाति का होने से आदिवासी है, जो निहायत गरीब भूमिहीन व्यक्ति है।

(90)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक R-5011-II/16 जिला– सिंगरौली

श्रीमान सिंह विरूद्ध म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~क्लेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 04/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 08.01.10 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	